कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 25.03.2026**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 24.03.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.03.2026 को उ0नि0 अरविन्द कुमार चौकी प्रभारी शहनिन्दा मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान महादेवा मन्दिर के पास बच्छलपुर रोड से 01 नफर अभियुक्त को 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 85/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नसरुद्दीन उर्फ डब्लू पुत्र तोता निवासी मछली बाजार युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 28 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 275/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

02. थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में मु0अ0सं0 65/2026 धारा 308(5) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 01अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.03.2026 को थानाध्यक्ष रमेश कुमार पटेल मय हमराह द्वारा ग्रिन फिल्ड छपरा से गाजीपुर मार्ग पर चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 65/2026 धारा 308(5) BNS से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त श्रीधर वर्मा उर्फ छोटे वर्मा पुत्र नन्दलाल सेठ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर उक्त मुकदमे से सम्बन्धित अवैध असलहे को बरामद करने जाते वक्त अभियुक्त श्रीधर वर्मा उर्फ छोटे वर्मा द्वारा पुलिस बल पर अवैध असलहे से जान से

मारने की नियत से फायरिंग किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु संतुलित फायरिंग की गई तो उसके दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगने से वह घायल हो गया। जिसे तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 68/2026 धारा 109(1), 262 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता –

1. श्रीधर वर्मा उर्फ छोटे वर्मा पुत्र नन्दलाल सेठ निवासी ग्राम करीमुद्दीनपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 131/2016 धारा 307, 506 आईपीसी
2. मु0अ0सं0 07/2019 धारा 323, 504, 506 आईपीसी
3. मु0अ0सं0 102/2019 धारा 504, 506 आईपीसी
4. मु0अ0सं0 107/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट
5. मु0अ0सं0 65/2026 धारा 308(5) बीएनएस
6. मु0अ0सं0 68/2026 धारा 109(1), 262 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी –

1. 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर

<u>03. साइबर सेल जनपद गाजीपुर के प्रयास से शिकायतकर्ता वारिस अली के साथ यूपीआई द्वारा फ्राड की गयी 20,000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।</u>

जनपद गाजीपुर द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत वारिस अली थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के साथ यूपीआई के द्वारा फ्राड किया गया तथा उनके द्वारा तत्काल साइबर हेल्प लाइन नं0 1930 पर काल करके आनलाइन शिकायत दर्ज करायी गयी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल साइबर सेल जनपद गाजीपुर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर सेल प्रभारी उ0नि0 श्री विवेक पाठक मय हमराह द्वारा दिनांक 24.03.2026 को वारिस अली के खाते में उनके साथ फ्राड की गयी 20,000/-- रू0 की धनराशि वापस करायी गयी।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर